प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 14.03.2026

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा आत्म हत्या के लिये उकसाने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.02.2026 को वादी श्री पवन कुमार वर्मा S/O ओमप्रकाश निवासी NH9 महरौली गा0बाद0 की तहरीर प्राप्त हुई कि अभियुक्तगण 1. शिवागी पुत्री मनोज 2. राहुल 3.सपना निवासीगण शिबनपुरा गाजियाबाद 4. राहुल जैन निवासी प्लाट नं0 37 ब्लाक 5 सेक्टर C भगवती विहार दिल्ली द्वारा वादी की पुत्री करिश्मा उम्र 23 वर्ष की नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेकर वापस न करना व पैसे वापस मांगने पर सीडी वायरल करने व बार-बार सलफाज खाकर मरजा की धमकी देना जिससे दवाव मे आकर वादी की पुत्री करिश्मा द्वारा सलफाज खा लेना व देहान्त हो जाने के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर मु0अ0सं0 0044/2026 धारा 318(4)/351(2)/108 बीएनएस बनाम शिवांगी आदि 04 व्यक्तियों उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 13.03.2026 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल जैन पुत्र आनंद जैन निवासी क्यू 45 विकास विहार मानस कुंज रोड़ उत्तम नगर नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने करिश्मा को बताया था की मेरी शादी नहीं हुयी है और मैने उससे दोस्ती कर ली थी नौकरी लगवाने के लिये मैने करिश्मा से पैसे भी लिये थे। करिश्मा मुझसे बार बार शादी का दबाब डाल रही थी मैं पहले से ही शादी शुदा था। इसलिये शादी से मना कर दिया था। इस बात को लेकर हमारे बीच झगडा भी हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

राहुल जैन निवासी प्लाट नं0 37 ब्लाक 5 सेक्टर C भगवती विहार दिल्ली उम्र 23

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना वेवसिटी पर उपरोक्त 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 50,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 14.03.2026 को साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 50,000/- रुपये आवेदिका को वापस कराई गयी।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका के साथ 50,000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 14.03.2026 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल धनराशि 50,000/- रुपये को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदिका द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी साइबर सेल टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की ई-रिक्शा बरामद।

दिनांक 13.03.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त तालिब पुत्र कल्लू निवासी रावली कलां निकट कब्रिस्तान मुरादनगर गाजियाबाद हाल पता निठौरा रोड तिराहे के सामने वाली गली हाजी कॉलोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र अशोक विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 ई-रिक्शा बरामद। उपरोक्त ई-रिक्शा की चोरी के सम्बन्ध में थाना भजनपुरा दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर धारा-317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह ई.रिक्शा मैंने भजनपुरा दिल्ली से करीब एक सप्ताह पहले चोरी किया था और इस ई.रिक्शा की बैटरी को मैंने एक दो दिन पहले ही राह चलते व्यक्ति को बेच दिया

है और इस रिक्शा को भी मैं ठिकाने लगाने के लिये लेकर जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तालिब पुत्र कल्लू निवासी रावली कलां निकट कब्रिस्तान मुरादनगर गाजियाबाद हाल पता निठौरा रोड तिराहे के सामने वाली गली हाजी कॉलोनी थाना लोनी उम्र करीब 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 ई-रिक्शा बरामद ।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा संकलित साक्ष्य, मैनुअल इनपुट के आधार पर दिनांक 10.03.2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0- 75/2026 धारा- 115(2)/352/105 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये प्रकाश में आये मृतिका के बेटे को किया गिरफ्तार, निरीक्षण घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाडी बरामद ।

वादी श्री खडकू पुत्र पूरन निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा उपस्थित थाना आकर एक तहरीर लिखित दी गई कि अभियुक्तगण 1-डब्बू 2- जसवीर उर्फ छंग्गा पुत्रगण जयसिंह निवासीगण ग्राम भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा वादी के पुत्र अनिल के द्वारा उधार के पैसे मांगने पर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा वादी के पुत्र अनिल के साथ गाली गलौज कर मारपीट करना व शोर सुनकर बचाने आयी वादी की पत्नी लीला के साथ भी मारपीट करना जिससे वादी की पत्नी की चोटे आना, झगडे के बाद घर के अन्दर चले जाना, सुबह घर का दरवाजा खोलने पर बेटे व पडोसियो को वादी की पत्नी लीला का मृत अवस्था में मिलने की सूचना पर तत्काल मसूरी पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुँच कर फोरेंसिक टीम को घटना स्थल पर बुलाया गया । निरीक्षण उपरान्त मृतिका के शव को म0उ0नि0 की उपस्थिति में सील सर्वे मोहर कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । दिनांक 10.03.2026 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद पर मु0अ0सं0-0075/2026 धारा- 115(2)/352/105 बीएनएस पंजीकृत हुआ । घटना स्थल के आसपास के लोगों से व गोपनीय रूप से जानकारी करने पर नामित अभियुक्तों की संलिप्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर घटना का सही अनावरण हेतु थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया । पुलिस टीम द्वारा संकलित साक्ष्य, मैनुअल इनपुट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित

डब्बू व उसके भाई छंग्गा उर्फ जसवीर की घटना कारित करने में कोई संलिप्ता नहीं पायी गयी बल्कि मृतिका के बेटे अनिल की घटना कारित करने में पूर्ण संलिप्ता पाये जाने पर अभियुक्त अनिल उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया जिसकी गिरफ्तारी की गयी पुलिस एव फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान घटना स्थल से एक कुल्हाडी व एक पत्थर बरामद हुआ जिसे सील सर्वे मोहर किया, गिरफ्तारी/पूछताछ के दौरान अभियुक्त अनिल द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अनिल उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि वह 02 भाई बहन है। दिनांक 08.03.2026 को उसके पिता खडकू छोटी बहन के साथ दिल्ली में बुआ के घर भात भरने गये थे। घर पर मैं और मेरी मम्मी अकेले थे। मैं अपने मोहल्ले के डब्बू व उसके भाई छंग्गा उर्फ जसवीर के साथ मजदूरी का काम करता हूँ। मेरे मजदूरी के डब्बू पर 1200 रुपये निकल रहे थे। मैंने शराब पी रखी थी, मैं अपनी मजदूरी के पैसे मांगने डब्बू के घर जा रहा था तो रास्ते में डब्बू से पैसे मांगने को लेकर मुंहभाषा हो गयी थी। डब्बू ने पैसे देने से इंकार कर रहा था, मुझे गुस्सा आया मैंने अपने घर में रखी कुल्हाडी लेकर डब्बू को मारने के लिये जा रहा था। मेरी मम्मी ने मुझे रोका और डांटा और मुझसे कुल्हाडी छीनने लगी और मेरे थप्पड मार दिया। मुझे गुस्सा आया और मैंने कुल्हाडी अपनी मम्मी के सिर में मार दी और पास में ही पडा पत्थर भी सिर में मार दिया। मम्मी बहोश हो गयी। मैंने बाहर से दरवाजा फेर दिया और मैं दूसरे कमरे में सो गया था। सुबह को जब देखा मम्मी के सिर में से काफी खून निकल रहा था जो मर चुकी थी, मैंने अपने आप को बचाने के लिये अपने पडोसी छग्गा उर्फ जसवीर व उसका भाई डब्बू का नाम अपने पापा व अपने परिजनों से बता दिया था कि मम्मी को इनके द्वारा मार दिया है। पापा के घर आने पर थाने में डब्बू व छंग्गा उर्फ जसवीर के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। मैंने कुल्हाडी व पत्थर तखत के नीचे डाल दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अनिल पुत्र खडकू निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाही व पत्थर घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान फोरेंसिक टीम के साथ विवेचक द्वारा बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर विधि विरुद्ध क्रिया कलाप में संलिप्त 06 अभियुक्त मय अपराध में प्रयुक्त 08 मोबाइल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 14.03.2026 को मुखविर द्वारा सूचना दी गयी कि हमारे क्षेत्र में भोवापुर के रहने वाले कुछ युवक है, जिनकी गतिविधियां समाज के साथ-साथ राष्ट्रहित के लिए भी ठीक नहीं है, ये लोग रेलवे स्टेशन तथा सुरक्षा बलों की जगहों के वीडियो बनाकर कुछ लोगों को भेजते है तथा पैसे का लालच देकर इस काम को करने के लिए युवाओं को आकर्षित करते है। जिससे समाज हित के साथ-साथ राष्ट्रहित भी प्रभावित हो रहा है जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा भोवापुर टी प्वाईन्ट से पहले मदर डेरी के सामने से 05 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभि0 सुहेल के मोबाईल की गैलरी में कुछ आपराधिक वीडियो व फोटो, व रेलवे स्टेशनों की फोटो/वीडियो तथा सुरक्षा बल की जगहों की फोटो और लोकेशन मिली है व सभी के मोबाइलों में विदेशी नम्बरों से चैट प्राप्त की गयी है। अभि0 सुहेल से पूछताछ पर एक अन्य सह अभियुक्ता साने इरम उर्फ महक पत्नी मो0 फैजान पुत्री रिसालतनि0 ग्राम ज्ञानपुर सिसौना थाना एचोडा जिला सम्भल को भी आनंद बिहार बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 152/61(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/5 शाशकीय गुप्त अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभि0गण सुहेल व अन्य से पुछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभि0गण योजनाबद्ध तरीके से फोन पर चैट के माध्यम से लोगो को संवेदनशील क्षेत्रों की वीडियो/फोटो और रेलवे स्टेशनों की फोटो वीडियो बनाकर भेजने पर अधिक पैसा कमाते है। व अन्य लोगो को भी ऐसा करने का प्रलोभन देकर अपने साथ जोडते हैं। इस प्रकार अभि0गण व अन्य लोगों द्वारा मिलकर योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, देश की संप्रभुता, एकता व अखण्ड़ता को खतरे में डालने, विधि विरूद्ध क्रिया कलापों में सम्मिलित होने सम्बन्धी कार्य में लिप्त होना पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता:-

1- सुहेल मलिक उर्फ रोमियो पुत्र ईस्लामुदीन हाल पता दोस्त गणेश पाण्डेय का मकान सुभारती यूनिवर्सिटी के पीछे थाना परतापुर जनपद मेरठ मूल निवासी गांव नरगढी नवादा थाना नहटौर जनपद बिजनौर उम्र करीब 23 वर्ष

2-साने इरम उर्फ महक पत्नी मो0 फैजान पुत्री रिसालत नि0 ग्राम ज्ञानपुर सिसौना थाना एचोडा जिला सम्भल उम्र 25 वर्ष ।

3.प्रवीन पुत्र मिन्टूराम नि0 पिन्टू के मकान मे किरायेदार गांव भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

4-राज वाल्मिकी पुत्र अरविन्द हाल पता ग्राम भोवापुर, अतरसिंह के मकान में किरायेदार भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी मो0 बनारसीदास थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया उम्र करीब 21 वर्ष

5-शिवा वाल्मिकी पुत्र रविकुमार हाल नि0, अतरसिंह के मकान में किरायेदार ग्राम भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी गांव रिसोली थाना उझियानी जनपद बदायू उम्र करीब 20 वर्ष

6-रितिक गंगवार पुत्र लालता प्रसाद हाल नि0 मिन्कू के मकान में किरायेदार सब्जी मण्डी गाजीपुर साईड ग्राम भोवापुर,कौशाम्बी थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी गांव सुल्तानपुर थाना कटरा जनपद शाहजहापुर उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

अपराध में प्रयुक्त 8 अदद मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

अभियुगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर कूटरचित पालिसी बनाकर अन्तर्राज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 05 सदस्य गिरफ्तार, 10 मोबाइल फोन16 , एटीएम कार्ड1 ,1 सिम 01 ,कार रजि0नं0 UP 16CX6901 व घटना से सम्बन्धित -/74000रुपये नगद बरामद ।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा फोन पर विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर अन्तर्राज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त सुनील मिश्रा, पवन कुमार यादव, राहुल कुमार मिश्रा, जितेन्द्र कुमार सिंह और दीपक कुमार को साइबर अपराध में प्रयुक्त 10 मोबाइल फोन, 16 अदद एटीएम कार्ड, 11 सिम कार्ड तथा कार के साथ थाना क्षेत्र विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया एवं 4 राज्यों की 1.5 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड की 4 घटनाओं का अनावरण किया गया है।

<u>पूछताछ का विवरण –</u>

अभियुक्तों ने बताया कि सुनील मिश्रा, राहुल मिश्राजितेन्द्र कुमार तथा दीपक कुमार ,पवन कुमार , पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल सेन्टर में काम कराते थे। इसके बाद ये लोग जीवन बीमा पॉलिसी कंपनियों के धारकों का डाटा प्राप्त कर दूसरों की आईडी के सिम प्राप्त कर उसी से प्राप्त डाटा से नंबर निकालकर उन लोगों को विभिन्न जीवन बीमा पॉलिसी कंपनियों के ग्राहक सेवा अधिकारी बनकरबीमा पॉलिसी में रिफण्ड कराने तथा पॉलिसी में अधिक लाभों का झूठा लालच , देकर या टैक्स के नाम पर विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफर कराते थे। पॉलिसीधारक जब हमारे दिये गये खातों में पैसे ट्रांसफर कर देते थे। इसके बाद ये लोग पॉलिसीधारक को आरबीआई बीमा लोकपाल तथा इनकम टैक्स विभाग की ,फर्जी व कूटरचित पॉलिसी रसीद पॉलिसीधारकों को उपलब्ध कराते थे। पॉलिसीधारकों के द्वारा खातों में ट्रांसफर किये गये पैसों को दीपक कुमार व कृष्णा चौधरी एटीएम के माध्यम से निकाल लेते थे और फिर ये सब आपस में बाँट लेते थे। पॉलिसीधारकों को फोन करने के लिए फर्जी आईडी के प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड राहुल मिश्रा तथा कृष्णा चौधरी उपलब्ध कराता था। जितेंद्र सिंह Canva app की सहायता से कूट रचित रसीद/ पॉलिसी बनाता था और फिर इस रसीद/ पॉलिसी को whatsapp के माध्यम से संबन्धित को ये लोग भेज देते थे।

पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि महाराष्ट्र निवासी विजय शिवा जी के साथ करीब एक करोड़ रुपये का इन लोगों ने पॉलिसी के नाम पर फ्रॉड किया है। पश्चिमी बंगाल के अरुण शॉ से ये लोग फ्रॉड कर रहे थे, उनसे अब तक 74 हज़ार रुपये ट्रांसफर करा चुके थे, और पैसे ट्रांसफर कराने में लगे हुए थे, अरुण शॉ से पूछने पर वो चौंक गए तथा इस फ्रॉड की पुष्टि की।

अभियुक्त जितेंद्र के मोबाइल में Canva app तथा उस पर बनाए हुए अरुण शॉ को भेजे गए तथा अन्य पीड़ितों को भेजे गए कूट रचित दस्तावेज़ बरामद हुए हैं।

ये अभियुक्त फर्जी नाम से फ्रॉड हेतु कॉल कराते थे तथा बीमा अधिकारी के रूप में फर्जी आईडी बनाकर लोगों को भेजकर उनका विश्वास अर्जित करते थे। जितेंद्र राहुल त्रिपाठी बनकर , दीपक तोमर मनोज ठाकुर बनकर तथा पवन यादव अनिल कुमार बनकर लोगों के साठा फ्रॉड कर रहे थे। चूंकि उनके पास पॉलिसी धारक की समस्त जानकारी होती थी इसलिये लोग इन पर विश्वास कर लिया कराते थे।

अभियुक्तों ने आपस में **chak de india नाम से एक whatsapp ग्रुप** बना रखा था जिस पर ये फ्रॉड संबन्धित सूचनाएँ आपस में शेयर करते थे।

इन अभियुक्तों से बरामद साक्ष्य के अवलोकन से इनके द्वारा सोलापुर महाराष्ट्र निवासी दिलीप पिम्पले, नासिक, महाराष्ट्र निवासी विजय शिवाजी, पश्चिम बंगाल निवासी अरुन शॉ, गुजरात निवासी धर्मेश चौहान तथा मध्य प्रदेश निवासी अनमोल सिंह

वर्मा के साथ साइबर फ्रॉड की पुष्टि हुई है। अभियुक्तों से बरामद खातों की डिटेल तथा मोबाइल नम्बरों से इनके द्वारा कारित अन्य साइबर अपराध की घटनाओं का पता लगाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त जितेन्द्र कुमार सिंह वर्ष 2016 में हैदराबाद से साइबर अपराध की घटना में जेल जा चुका है।

इस गैंग के अन्य सदस्यों सिम उपलब्ध करने वाले राहुल कुमार, खाते उपलब्ध करने वाले बरेली निवासी देव कुमार उर्फ दया शंकर तथा ग्रेटर नोएडा निवासी देव राठी, ATM से पैसे निकालने वाले कृष्णा चौधरी तथा साइबर फ्रॉड करने वाले सुरेश निवासी सेक्टर 24 गुरुग्राम हरियाणा और अरविन्द निवासी रोहिणी दिल्ली की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. सुनील मिश्रा पुत्र शम्भूनाथ मिश्रा निवासी ग्रालालगंज थाना लालगंज 0 जनपद बलिया हाल पता म 10 गली नं0 148 नं0 0 गढ़ी चौखण्डी नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर 121 सेक्टर उम्र 33 वर्ष, शिक्षा – 12 वीं।
2. पवन कुमार यादव पुत्र रामाधार यादव निवासी ग्रा उत्तर प्रदेश हाल पता डब्लूजेड ,रामपुर जीवन थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर 0 सी ओम बिहार 40फेस वर्ष 42 दिल्ली उम्र ,उत्तम नगर वेस्ट 03, शिक्षा – बीएससी।
3. राहुल कुमार मिश्रा पुत्र रामकुमार मिश्रा निवासी म दनाव बनियापुर थाना बनियापुर जपनद सारन बिहार हाल पता डब्लू 63 0नं0 वर्ष 40 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 12 सेक्टर 47, शिक्षा – 12 वीं।
4. जितेन्द्र कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी ग्राब 0ोधनगर थाना शम्भूगंज जनपद सुल्तानगंज बिहार हाल पता प्लैट नं 204 0 वर्ष 37 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 119 अरनिया अपार्टमेंट सेक्टर, शिक्षा – 10वीं फेल।
5. दीपक कुमार पुत्र यादराम निवासी ग्राहुसैनपुर खेड़ा पोस्ट खे 0ड़ा जनपद बदाँयू हाल पता ग्रानोएडा 22 चौड़ा जे ब्लॉक सैक्टर 0 वर्ष 36 जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब, शिक्षा – बीए।

गिरफ्तारी स्थान - थाना क्षेत्र विजयनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण - 10 मोबाइल फोन16 , एटीएम कार्ड1 ,1 सिम 01 , कार रजि0नं0 UP 16CX6901 व घटना से सम्बन्धित -/74000रुपये नगद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व अभियुक्त की निशानदेही से चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 14.03.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त आजाद उर्फ अज्जू पुत्र शेरू निवासी एफ 30 पुरानी सीमापुरी दिल्ली थाना सीमापुरी उम्र करीब 32 वर्ष को दिल्ली वजीराबाद रोड शौचालय कट के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल व अभियुक्त की निशानदेही वजीराबाद रोड़ सेक्टर 3 राजेन्द्र नगर शिव मन्दिर के पास झाडियों से चोरी की 04 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मोटर साइकिल चोरी करता है। अभियुक्त से जो मोटर साइकिल बरामद हुई हैं, वो दिल्ली के सीमापुरी

क्षेत्र से करीब 01 महीने पहले चोरी की थी तथा निशानदेही से बरामद 04 मोटर साइकिल को दिल्ली के जी0टी0बी0, गाजियाबाद तथा शालीमार गार्डन क्षेत्र से चोरी की थी। इसीक्रम में अभियुक्त चोरी की हुई मोटर साइकिल को बेचने के फिराक में जा रहा था कि पुलिस ने चैकिंग के दैरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आजाद उर्फ अज्जू पुत्र शेरू निवासी एफ 30 पुरानी सीमापुरी दिल्ली थाना सीमापुरी उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल व अभियुक्त की निशानदेही से चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर व गाजियाबाद में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।